न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– श्री रामरख मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 139 / 2016

हरविन्द्र सिंह पुत्र श्री अग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादीगण

बनाम्

1. अग्रेज सिंह उर्फ गोरा सिंह पुत्र खेतासिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. कुलविन्द्रकौर पत्नी अग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवालासिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. लखविन्द्र कौर पुत्री अग्रेजसिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया।
5. एस.बी.आई. जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.बैंक शाखा संगरिया।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

घोषणा हेतु वाद

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद डेलू एडवोकेट – वादीगण
2. श्री लखन करवा एडवोकेट – प्रतिवादीगण 1
3. श्री संजय आर्य एडवोकेट – प्रतिवादीगण 5
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया – प्रतिवादीगढ़ 6

दिनांक 17.3.2017

निर्णय

वाद–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी के पिता अग्रेज सिंह व दादा खेतासिंह के नाम से चक 11 एम.एम.पी. के खाता संख्या 2/66 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 2.039 है0 मय गै.मु. व चक 5 एन.के.आर. के खाता संख्या 2/66 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में कुल 1.6970 है. मय गै.मु. व चक 11 ए.एम.पी. के खाता संख्या 15/15 में कुल 1.4668 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न है वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पुत्र व प्रतिवादी संख्या 3 का भाई है। इसलिये वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की विरासतन है तथा उक्त कृषि भूमि को लेकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 में काश्त की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए आपसी परिवार में घरा घरा बटवारा कर लिया था बंटवारा के रोज से ही वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर वादी की शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित वादी के हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि निम्न प्रकार है कि चक 11 ए.एम.पी. के जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 2/66 में कुल 2.0390 है कृषि भूमि मय गै.मु. एवं चक 5 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 2/66 में 1.6970 है. कृषि भूमि मय गै.मु. वाद पत्र में वर्णित कुल कृषि भूमि में वादी को चक 11 ए.एम.पी. व चक 5 एन.के.आर. में बंटवारानुसार हिस्सा

त हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 पिता को चक 11 ए.एम.पी.के खाता संख्या 15/15 के साझा ता में प्राप्त हिस्सा छोड़ दिया गया है वादी ने बंटवारानुसार प्राप्त कृषि भूमि को काफी मेहनत व रूपया खर्च कर सुधार कर लिया है अब प्रतिवादी नशे का आदि है जो शराब पीकर प्रतिदिन वादी को जमीन बेचने की धमकीयां देता है। यदि प्रतिवादी ऐसा कर देता है तो वादी को कभी ना पूरी होने वाली हानि होगी। वादी के छोटे–2 बच्चे है जिनका पालन पोषण व शिक्षा का भार उठाना मुश्किल हो जायेगा। वादी घरा घरू बंटवारा अनुसार वाद में वर्णित कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा खाता अलग करवाने का दावेदार व अधिकारी है वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी को घरा घरू बटवारा में प्राप्त हुई है जिसकी वादी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवा राजस्व रिकार्ड में स्वंय का नाम अंकित करवाने की घोषणा करवाने का खातेदार व अधिकारी है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से अंकित न होने के कारण की कृषि भूमि ऋण फसल बीमा रकम राज के आबियाना में अनावश्यक परेशानी रहती है। वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 व 5 भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जिनसे कोई प्रतिफल नही चाहा है वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से अनुरोध किया कि वह बंटवारानुसार वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि वादी को घरा घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है प्रतिवादी संख्या का नाम कलमजन करवा राजस्व रिकार्ड में स्वंय का नाम अंकित करवाने की घोषणा करवाने का खातेदार व अधिकारी है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकित न होने के कारण की कृषि भूमि ऋण फसल बीमा रकम राज के आबियाना में अनावश्यक पेरशानी रहती है। वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 व 5 भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जिनसे कोई प्रतिफल नहीं चाहा है वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से अनुरोध किया कि वह बंटवारानुसार वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम अंकित करवा देवें। प्रतिवादी आजकल करता रहा गत सप्ताह ऐसा करने से इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रस्तुत है श्रवणाधिकार में है व उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावें। वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड अंकित करने की घोषणा की जावें तथा रकम राज अबियाना वादी के नाम से कायम किया जावें।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 का जवाबदावा मय इकबालदावा पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की तरफ से जवाब दावा पेश किया गया जो शामील किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब दावा मय इकबालदावा पेश कर वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार डिक्री करने की इस्तदुआ की एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 द्वारा अपने जवाब दावा में वाद पत्र को राज्यहित व बैक हित ध्यान में रखते हुए वाद पत्र को डिग्री किये जाने का कथन किया तथा मेरे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण

ओर से प्रस्तुत किए गए जवाबदावा व पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में चक 11 एम.एम.पी. में खाता संख्या 15/15 मे दर्ज कृषि भूमि छोड़ दी गई है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने इकबाल दावा में स्वीकार किया है। उक्त तथ्यों के मनन के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उक्त के आधार पर वादी का वाद पत्र डिग्री किया जाता है कि चक 11 एम.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 2/66 में कुल 2.039 है0 मय गै.मु. कृषि भूमि व चक 5 एन.के.आर. जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 2/66 में कुल 1.697 है0 मय गै.मु. कृषि भूमि का हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 अग्रेज सिह उर्फ गौरा सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज एवं पर्चा डिगरी जारी की जावें। ऋण चुकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उक्तानुसार ही रकम राज कायम कर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 12.3.2017 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर सुनाया गया।

(रामरख मीना)
उपखंड अधिकारी,
संगरिया